

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: आदेश ::

का०आ०-24 / बि०स०से०-10-08 / 2025 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक.....

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञाप संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड-रू० 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू० 4800/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-8 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/वरीयता क्र०/ जन्म तिथि/से०नि० की तिथि/विभाग का नाम	द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) की तिथि
1	2	3
1	श्री ब्रह्मेश्वर मौआर, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1337 / 2024 07.03.1978 / 31.03.2038 वित्त विभाग	28.05.2017
2	श्रीमती रीता चौधरी, सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 04.02.1962 / 28.02.2022 सिविल विमानन विभाग	18.09.2020

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I), वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम० ए० सी० पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह०/-

(केशव कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24 / बि०स०से०-10-08 / 2025 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन/विकास भवन/सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24 / बि०स०से०-10-08 / 2025 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (वरीय प्रभार, बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग)/उप सचिव (प्रभारी, बिहार सचिवालय सेवा)/प्रधान सचिव के आप्त सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 17, 24 एवं स्थापना प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वि0वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....8918.....पटना-15, दिनांक19.05.26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8

19.05.26

सरकार के संयुक्त सचिव।